मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुन्दर लाल बंशीवाल
आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या : 252/2025

सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 252/2025

(सी.एन.आर. संख्या– RJSM120004552025)

1. अमन वर्मा पुत्र स्व. सीताराम वर्मा, उम्र 29 साल, निवासी–ग्राम लोदीपुरा, तह. व जिला सवाईमाधोपुर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण मीना पुत्र श्री रामधन मीना, उम्र 43 साल, जाति मीना निवासी–ग्राम दुब्बी बनास, थाना सूरवाल, जिला सवाईमाधोपुर।
(वाहन चालक डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200)

2. चन्द्रमल मीना पुत्र हीरालाल मीना, उम्र 52 साल, जाति मीना, निवासी–20, पीटेहला थूनिया, धीरागुपरा, तह. लालसोट, जिला दौसा।
(वाहन स्वामी डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200)

3. दी ओरियंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, जरिए शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय एसबीआई बैंक के पास, लिंक रोड, आलनपुर, जिला सवाईमाधोपुर।
(बीमाकर्ता डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200)

.....विपक्षीगण

क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 एम.वी. एक्ट

उपस्थिति :–

1- श्री तोफिक मोहम्मद, विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से।
2- अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3- श्री चन्द्रप्रकाश जांगिड, विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 08.05.2026**

1. प्रार्थी/आहत ने मोटर दुर्घटना में स्वयं के शरीर पर उत्पन्न हुई चोटों के संबंध में हस्तगत याचिका प्रतिकर प्राप्ति के अनुतोष बाबत इन अभिवचनों के साथ पेश की है कि दिनांक 01.06.2025 को सायं करीब 8.30 बजे आहत अमन वर्मा जो, अपनी मोटरसाईकिल से बजरिया से अपने गांव लोदीपुरा जा रहा था, तभी एक डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 का चालक लोदीपुरा से बजरिया की ओर तेज गति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक

क्रमशः

चलाकर टक्कर मार दी जिससे अमन वर्मा को घसीटते हुए डंपर ले गया, जिससे आहत के गंभीर चोटें आईं, जिसे वहां से गुजर रहे रामफूल रैगर पुत्र रामसहाय, कालू पुत्र लड्डू मीना व राहगीरों ने उठाया, फिर अमन वर्मा को तुरंत प्राईवेट गाडी से अपेक्स रणथम्भौर सेविका अस्पताल लाया गया, जहां आहत का ईलाज कर आहत को सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए रैफर कर दिया। उसके बाद आहत को वापस सवाईमाधोपुर ईएनटी अस्पताल आलनपुर में भर्ती करया, जहां आहत के जबडे का ऑपरेशन हुआ। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के बडे भाई पंकज वर्मा द्वारा थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर पर दर्ज कराई गई।

2. उक्त दुर्घटना की पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0201/2025 अन्तर्गत धारा 281, 125ए/बी भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध करायी, जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 281, 125ए व 125 बी भारतीय न्याय संहिता व 39/192 मोटर यान अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी/आहत की ओर से विभिन्न मदों में 1,80,50,000/–रू क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रकरण में आदेशिका दिनांक 21.01.2026 के द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से क्लेम याचिका के जवाब में प्रारम्भिक आपत्तियों के अन्तर्गत अंकित कराया है कि तथाकथित वाहन चालक द्वारा प्रश्नगत वाहन का बिना वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र के ही संचालन किया जा रहा था। दुर्घटना की सूचना वाहन चालक व मालिक ने बीमा कम्पनी को उपलब्ध नहीं करवाई, बीमित वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई थी, उक्त दुर्घटना आहत की स्वयं लापरवाही एवं उपेक्षा का परिणाम थी, विपक्षी वाहन चालक के पास बीमित वाहन के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठांकन सहित वैध लाईसेंस नहीं था, आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2025 को शाम 8.30 बजे दुर्घटना होना बताया गया है जबकि पुलिस थाना मानटाउन में दिनांक 05.06.2025 को रिपोर्ट आवेदक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई है, जो आवेदक ने पुलिस से साझकर उक्त वाहन डंपर के खिलाफ अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारने बाबत दर्ज कराई गई है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है, एफआईआर में भी उक्त डंपर के रजिस्ट्रेशन नंबर का हवाला नहीं है, उक्त दुर्घटन नक्शा मौका के अनुसार आहत की स्वयं की लापरवाही एवं उपेक्षा का परिणाम थी, अंत में निवेदन किया गया कि यदि किसी सूक्ष्म कारण से उत्तरदाता के खिलाफ अवार्ड पारित किया जाता है तो ऐसी अवस्था में बीमा कंपनी की बीमित वाहन के स्वामी से भुगतान की गई राशि को वसूल करने का अधिकार सुरक्षित होगा, इस आशय के विस्तृत आदेश निर्णय अंतगत पारित फरमाए जाने का निवेदन करते हुए अन्त में क्लेम याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

क्रमशः

6. प्रकरण में पक्षगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के सम्बंध में दिनांक 03.02.2026 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया दिनांक 01.06.2026 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रश्नगत वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई ?

......प्रार्थी

2. आया चालक दुर्घटना के समय उक्त वाहन को वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ व उसकी सहमति या जानकारी से चला रहा था ?

.........अप्रार्थी

3. आया दुर्घटना में प्रार्थी अमन वर्मा के आहत होने के दावेदार दावे में न्याय सम्मत प्रकार की कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी से किस–किस प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

..........प्रार्थी

4. आया विपक्षीगण के लिखित कथन की प्रारंभिक/विशेष कथन की आपत्तियां सार्थक हैं, यदि हां तो इसका दावा याचिका पर प्रभाव क्या होगा ?

..........अप्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

7. विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 170 मोटर यान अधिनियम आदेश दिनांक 13.03.2026 के द्वारा स्वीकार किया जाकर बीमा कंपनी को सभी आधारों पर प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड. 1 के रूप में अमन जो कि स्वयं आहत है, को परीक्षित करवाया गया है।

9. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेजात प्रदर्श–1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श–2 चॉक एफआईआर, प्रदर्श–3 चार्जशीट, प्रदर्श–4 लगायम 8 पुलिस बयान, प्रदर्श–9 नक्शा मौका, प्रदर्श–10 आरसी मोटरसाईकिल, प्रदर्श–11 एमएलआर, प्रदर्श–12 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श–13 फर्द डैमेज मोटरसाईकिल, प्रदर्श–14 सम्पत्ति तलाशी, प्रदर्श–15 नोटिस 133 एमवी एक्ट, प्रदर्श–16 नोटिस 134 एमवी एक्ट, प्रदर्श–17 रामचरण मीणा का डीएल, प्रदर्श–18 फिटनेस, प्रदर्श–19 डंपर की बीमा पॉलिसी, प्रदर्श–20 डंपर की आरसी, प्रदर्श–21 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श–22 लगायत 54 ईलाज के बिल, प्रदर्श–55 डिस्चार्ज टिकिट सेविका अस्पताल, प्रदर्श–56 डिस्चार्ज टिकिट

त्रिनेत्र अस्पताल, प्रदर्श–57 ईलाज का बिल, प्रदर्श–58 गेट पास, प्रदर्श–59 मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का बिल, प्रदर्श–60 फिजियोथेरिपी की पर्ची, प्रदर्श–61 लगायत 66 ईलाज की पर्ची, प्रदर्श–67 स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र, प्रदर्श–68 लगायत 75 एसएमएस अस्पताल के दस्तावेजात के रूप में प्रदर्शित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई।

12. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रकरण में सम्बद्ध वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के चालक द्वारा वाहन को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाकर दुर्घटना कारित की गई तथा इस तथ्य को प्रार्थी पक्ष की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति साबित किया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना में प्रार्थी को गंभीर चोट कारित हुई है, तब प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत क्लेम याचिका स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी को वांछित क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाई जावे।

13. प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से बहस रही है कि विपक्षी वाहन चालक के पास बीमित वाहन के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठांकन सहित वैध लाईसेंस नहीं था, आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2025 को शाम 8.30 बजे दुर्घटना होना बताया गया है जबकि पुलिस थाना मानटाउन में दिनांक 05. 06.2025 को दर्ज कराई गई है, एफआईआर में भी उक्त डंपर के रजिस्ट्रेशन नंबर का हवाला नहीं है, उक्त दुर्घटना नक्शा मौका के अनुसार आहत की स्वयं की लापरवाही एवं उपेक्षा का परिणाम थी, अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की उक्त याचिका को विरूद्ध विपक्षी बीमा कंपनी खारिज किया जावे।

14. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र अवलोकन के पश्चात् अधिकरण द्वारा विनिर्मित विवाद्यकों पर बिन्दुवार अधिकरण का विनिश्चय निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या–1

इस विवाद्यक का सिद्धीभार प्रार्थी पक्ष पर रहा है। जिसके समर्थन में प्रार्थी संख्या–1 अमन जो कि स्वयं आहत है, ने अपनी अभिसाक्ष्य में अभिकथन किया है कि दिनांक 01.06.2025 को सायं करीब 8.00/8.30 बजे की बात है, वह बजरिया से उसके गांव लोदीपुरा उसकी मोटरसाईकिल से जा रहा था, जब वह लोदीपुरा मोड के आगे पहुंचा तो सामने से एक डंपर

क्रमशः

संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रोंग साईड में आकर उसकी मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मार दी व मोटरसाईकिल घसीटते हुए आगे ले गया, दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, दुर्घटना में उसके हाथ, मुंह व जबडे में गंभीर चोटें आई थी। दुर्घटनास्थल से उसे रणथम्भौर सेविका अस्पताल लेकर गए, वहां उसे करीब 6 दिन तक आईसीयू में भर्ती रखा गया, उसके बाद उसे जयपुर अस्पताल में रैफर कर दिया गया, वहां वह करीब 6 दिन तक भर्ती रहा, उसके बाद 16 जून को त्रिनेत्र अस्पताल सवाईमाधोपुर में मुंह की सर्जरी के लिए भर्ती हुआ, उसके बाद से उसका ईलाज अभी तक चल रहा है। उक्त दुघ र्टना डंपर चालक की गलती के कारण कारित हुई थी। वह दुर्घटना से पूर्व लेब में बच्चों को पढाने का काम करता था, जिससे 40 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेता था, उसके ईलाज में 6 लाख रूपये लग गए। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बीमा कंपनी की ओर से दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए अभिकथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श–1 में वाहन के नंबर अंकित नहीं हैं। आगे अपने अभिसाक्ष्य में उक्त साक्षी ने अभिकथन किया है कि दुर्घटनास्थल वाला रोड हल्का उबड़–खाबड़ है। आगे अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बीमा कंपनी की ओर से दिए गए सुझाव से इंकार करते हुए अभिकथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी मोटरसाईकिल असंतुलित हो गई हो।

15. प्रकरण में स्वयं प्रार्थी ए.ड. 1 अमन, द्वारा अपने सशपथ कथन में दुर्घटना की पुष्टि करते हुए सम्बद्ध वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के चालक द्वारा दुर्घटना के तत्समय वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी पक्ष की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर, दुर्घटना कारित करने तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्वयं के गंभीर रूप से घायल हो जाने का स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है। प्रकरण में इस साक्षी से अप्रार्थी पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में, ए.ड. 1 अमन द्वारा अपने सशपथ कथन में उपर उल्लेखित तथ्यों का कोई खंडन नहीं हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी साक्ष्य के खंडन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट आहत अमन के भाई पंकज वर्मा द्वारा मुकामी पुलिस थाने पर सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 दिया जाना प्रकट है तथा जिसकी अंर्तवस्तु में यद्यपि दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन डंपर के नंबर अंकित नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रकट है, परंतु प्रकरण में सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 पर मुकामी पुलिस थाने पर मुकदमा पंजीबद्ध किए जाने के पश्चात्, बाद अनुसंधान प्रकरण में चालक रामचरण अर्थात अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 281, 125 ए एवं 125 बी भारतीय न्याय संहिता सहित 39/192 मोटर यान अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकट है।

17. प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा सम्बद्ध आरोप पत्र के साथ, प्रश्नगत दुर्घटना जिस स्थान विशेष पर कारित हुई, उसके संबंध में सम्बद्ध नक्शा मौका

क्रमशः

घटनास्थल को प्रदर्श–9 के रूप में पत्रावली पर अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाए गए सम्बद्ध नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श–9 की अंर्तवस्तु में प्रश्नगत दुर्घटना जिस स्थान विशेष पर हुई, उसे एक्स मार्क से चिन्हित किया गया है, जिसकी अंर्तवस्तु में डंपर चालक द्वारा प्रार्थी / आहत अमन के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

18. प्रकरण में दौराने अनुसंधान सम्बद्ध अनुसंधान अधिकारी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन के स्वामी व चालक को दिए गए नोटिस क्रमशः अंतर्गत धारा 133 व 134 मोटर यान अधिनियम प्रदर्श–15 व 16 की पुश्त पर ही, वाहन मालिक व वाहन चालक द्वारा दिए गए जवाब से भी प्रश्नगत दुर्घटना, अप्रार्थी संख्या–1 चालक रामचरण द्वारा किए जाने का तथ्य प्रकट है। प्रकरण में चूंकि उपर उल्लेखित सम्बद्ध नोटिस प्रदर्श–15 व 16 के संबंध में अप्रार्थी पक्ष की ओर से किसी भी रूप में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, तब प्रकरण में सम्बद्ध नोटिस प्रदर्श–15 व 16 की पुश्त पर वाहन स्वामी व चालक के रूप में उनके द्वारा दिया गया जवाब अंखडनीय रह जाता है।

19. प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय पत्रावली पर आहत अमन के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–11 के रूप में अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाई गई है, जिसमें सडक दुर्घटना में अमन के चोट कारित होना उल्लेखित किया गया है।

20. न्यायिक दृष्टांत **[2021] 1 SCC 171,Anita Sharma and others v. The New India Assurance Co. Ltd. and others** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – In claim cases, evidence is to be tested on preponderance of probability and principles of strict rule of evidence, proving a point beyond reasonable doubt, is not available in claim cases, which are adjudged under a benevolent provision contained in Motor Vehicles Act.

21. प्रकरण में चूंकि हस्तगत क्लेम याचिका के संबंध में प्रार्थी पक्ष को सम्भावनाओं की बाहुल्यता के स्तर का सबूत ही पेश किया जाना पर्याप्त है। प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन डंपर के चालक रामचरण द्वारा वाहन डंपर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर, प्रार्थी अमन को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करते हुए, उसे साधारण एवं गंभीर प्रकृति की उपहति कारित किए जाने का तथ्य स्वयं प्रार्थी अमन की ए.ड. 1 के रूप में अभिसाक्ष्य सहित, प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र व चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित है। अतः विवाद्यक बिन्दु संख्या–1 प्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

22. इस विवाद्यक को साबित करने का सिद्धिभार अप्रार्थीगण पर रखा गया है। प्रकरण में विवाद्यक संख्या एक प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित हो जाने से दुर्घटना कारित करने वाले डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के चालक द्वारा प्रार्थी अमन को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किये जाने का तथ्य साबित हुआ है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाये गये सम्बद्ध नोटिस अन्तर्गत धारा 133 व 134 मोटरयान अधिनियम क्रमशः प्रदर्श–15 व 16 की पुश्त पर वाहन स्वामी व चालक के रूप में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा दिये गये जवाब से यह तथ्य अपने आप में सुस्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाले डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के लाभार्थ व हितार्थ चलाया जा रहा था। तब विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4

23. इस विवाद्यक को साबित करने का सिद्धिभार अप्रार्थीगण पर रखा गया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, विलंब से पंजीबद्ध करवाए जाने के तथ्य बाबत् भी आपत्ति ली गई है, प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्बद्ध चॉक एफआईआर प्रदर्श–2 की अंर्तवस्तु से प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 01.06.2025 को होना तथा मुकामी पुलिस थाने पर दिनांक 05.06.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होना प्रकट है। तब इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना लगभग 4 दिवस के विलंब से पंजीबद्ध करवाया जाना प्रकट है। प्रकरण में चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई जाने में हुए विलंब अपने आप में प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने का आधार नहीं हो सकता है, बशर्ते अभियोगी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाए जाने में हुए विलंब के संबंध में संतोषजनक व पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया जावे। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्बद्ध चिकितसकीय दस्तावेज प्रदर्श–55 व 56 से, प्रार्थी/आहत का लगभग 9 दिवस उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने का तथ्य प्रकट है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी पक्ष द्वारा मुकामी पुलिस को दी गई सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 की अंर्तवस्तु में एफआईआरकर्ता के उसके भाई आहत अमन के ईलाज में व्यस्त होने के चलते एफआईआर देरी से दर्ज कराए जाने का तथ्य प्रकट किया गया है। तब प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाए जाने में हुए 4 दिवस के विलंब बाबत प्रार्थी पक्ष का पत्रावली पर संतोषजनक स्पष्टीकरण है। तब प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीबद्ध करवाए जाने के तथ्य बाबत उठाई गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

24. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से आपत्ति रही है कि दुर्घटना के समय डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 का चालक वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्तिधारी नहीं था, लेकिन प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी संख्या–1 का चालन अनुज्ञापत्र प्रदर्श–17 प्रदर्शित कराया गया है, जिसका बीमा कम्पनी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया जा सका है। ऐसे में बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति भी निरर्थक है। प्रकरण में चूंकि वक्त दुर्घटना सम्बद्ध वाहन के चालक के पास वैध अनुज्ञापत्र तथा वाहन डंपर का अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी द्वारा बीमित होने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है। प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 का बीमा प्रार्थी पक्ष द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रदर्श–19 के रूप में अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 01.06.2025 को दुर्घटना कारित किए जाने वाला सम्बद्ध वाहन अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी से बीमित होना प्रकट है।

25. प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले डंपर के संबंध में आवश्यक फिटनेस व परमिट वैध एवं प्रभावी नहीं थे, जो कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। जिससे अप्रार्थी बीमा कपंनी की क्षतिपूर्ति अदा किए जाने के लिए दायित्व नहीं रखती है।

26. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से दुर्घटना कारित करने वाले उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 का फिटनेस प्रदर्श–18 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें फिटनेस की वैधता दिनांक 21.04.2025 से 20.04.2026 तक होना स्पष्ट रूप से प्रकट है। लेकिन जहां तक उपर उल्लेखित वाहन के परमिट का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन की बीमा पॉलिसी प्रर्दश 19 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाई गई है। जिसके अवलोकन से सम्बद्ध वाहन डंपर का ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना स्पष्ट रूप से प्रकट है। प्रकरण में चूंकि उपर उल्लेखित दुर्घटना कारति करने वाला वाहन डंपर होकर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिसके लिए विधि में परमिट होना अपेक्षित है। लेकिन प्रकरण में पत्रावली पर उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन डंपर के संबंध में कोई परमिट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से भी सम्बद्ध डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के संबंध में किसी भी प्रकार की परमिट की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। तब प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के संबंध में आवश्यक परमिट नहीं होने के तथ्य बाबत पत्रावली पर सकारात्मक अभिसाक्ष्य है। तब प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाली सम्बद्ध डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 के संबंध में परमिट नहीं होने का तथ्य युक्तियुक्त रूप से साबित है।

27. प्रकरण में यद्यपि दुर्घटना के तत्समय उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन के संबंध में वांछित परमिट के नहीं होने से, बीमा शर्तों का उल्लंघन है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2018 को पारित निर्णय Civil Appeal No. 2253 Of 2018 (Arising out of S.L.P. (Civil) No. 7692 of 2017) Amrit paul Singh & Anr. Vs State AIG General Insurance Co. Ltd. & Ors में सम्बद्ध वाहन का वक्त दुर्घटना परमिट नहीं होने के बावजूद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्बद्ध बीमा कंपनी को वांछित क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रार्थीगण पक्ष को अदा करने का जो निर्देश दिया गया था, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance company Vs Shravan singh & ors.** 2004 (3) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज–297 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सही ठहराते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया। इस न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वांछित क्षतिपूर्ति धनराशि बीमा कंपनी द्वारा प्रार्थीगण को अदा करने तथा उक्त धनराशि विधिनुसार वाहन स्वामी से वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

28. अद्यतन न्यायिक दृष्टांत **2025 LiveLaw (SC) 1095,AKULA NARAYANA vs. THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED & ANR. में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– Insurance companies cannot evade their obligation to compensate victims in motor accident cases, even when there is a breach of a policy condition. The Court clarified that insurers retain the right to recover the compensation amount from the vehicle owner thereafter.**

29. प्रकरण में चूंकि उपर उल्लेखित सम्बद्ध दुर्घटना कारित करने वाले वाहन डंपर संख्या–आर.जे. 29/जी.ए. 7200 का दुर्घटना के तत्समय परमिट नहीं होने से, बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना साबित है। लेकिन ऊपर उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी पक्ष/याची पक्ष क्षतिपूर्ति राशि विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी से प्राप्त करेंगे तथा विपक्षी बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वे विपक्षी संख्या–1 व 2 से उक्त क्षतिपूर्ति राशि को वसूल कर सकेंगे। तब विवाद्यक संख्या–4 तदनुसार विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या – 2

इस विवाद्यक का सिद्धीभार प्रार्थीगण पर रहा है, चूंकि प्रकरण में विवाद्यक संख्या–1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–4 आंशिक रूप से तदनुसार विपक्षी बीमा कंपनी के पक्ष में विनिश्चित किया गया है। तब प्रार्थी पक्ष/याची पक्ष प्रकरण में विपक्षी बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि

प्राप्त करने की अधिकारी हैं। विपक्षी बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वे विपक्षी संख्या–1 व 2 से उक्त क्षतिपूर्ति राशि को वसूल कर सकेंगे।

30. प्रार्थी अमन द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 1,80,50,000/–रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाह ए.ड. 1 अमन ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

31. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्शित कराए गए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–11 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–12 के अनुसार आहत अमन को कुल 6 चोटें आना प्रकट है, जिन चोटों में से चोट संख्या– 1, 2 व 4 को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है, ऐसे में याची अमन को गंभीर चोट के मद में 10000/–रू प्रति साधारण चोट की दर से 10000×3 = **30,000/–रू** दिलाया जाना न्यायसंगत है तथा चोट संख्या–3, 5 व 6 को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति की होना बताया गया है, ऐसे में आहत अमन को साधारण चोटों के मद में **3000/–रू** प्रति साधारण चोट की दर से **3000×3 = 9000/–रू** दिलाया जाना न्यायसंगत है, इस प्रकार कुल चोटों के मद में आहत अमन को **39,000/–रू** दिलाया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

32. इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से प्रदर्श–22 लगायत 54 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है, उक्त बिलों के संबंध में विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति ली गई है कि प्रदर्श–53 व 54 पर डॉक्टर की सील नहीं है, कम्प्यूटर जनित बिल हैं। प्रकरण में इस संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ दिनांक 06.05.2026 को सम्बद्ध मेडिकल बिलों की प्रमाणित प्रति प्रसतुत की गई है, जिनमें फाईनल बिल भी शामिल है। तब उक्त बिलों को जोडने पर उक्त बिलों की राशि का योग 78,866/–रू आता है, ऐसे में प्रार्थी अमन को मेडिकल बिलों के बाबत **78,866/–रू** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

33. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में क्रमशः प्रदर्श–55, प्रदर्श–56 प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके मुताबिक आहत अमन अपेक्स रणथम्भौर सेविका अस्पताल में दिनांक 01.06.2025 से 06.06.2025 तक 6 दिवस व दिनांक 16.06.2025 से 18.06.2025 तक 3 दिवस त्रिनेत्र अस्पताल में भर्ती रहा है, इस प्रकार आहत कुल 9 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। इसके अतिरिक्त आहत अमन की ओर से प्रदर्श–68 लगायत 75 एसएमएस अस्पताल के ईलाज के दस्तावेजात पेश किए हैं, परंतु प्रार्थी अमन की ओर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई डिस्चार्ज टिकिट प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में उसे जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में समुचित साक्ष्य नहीं होने से कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। ऐसे में आहत को 9 दिवस उक्त दोनों अस्पतालों में भर्ती

रहने बाबत व आनुषांगिक खर्च तथा पौष्टिक आहार के पेटे 1000/–रू प्रति दिवस की दर से 1000×9 = **9000/–रू** दिलवाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

34. प्रार्थी द्वारा परिवहन के व्यय के मद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में उसे इस मद में कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

35. प्रकरण में यद्यपि प्रार्थी की ओर से प्रदर्श–57 के रूप में राधास्वामी फिजियोथेरिपी का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिस पर राशि 28500/–रू अंकित है, प्रार्थी की ओर से उक्त बिल के समर्थन में प्रदर्श–60 सम्बद्ध चिकित्सकीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रकरण में जिस व्यक्ति विशेष द्वारा आहत अमन की फिजियोथेरिपी की गई, उस व्यक्ति विशेष को अधिकरण के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है, इसके साथ ही किसी चिकित्सक द्वारा फिजियोथेरिपी कराने की सलाह प्रार्थी/आहत अमन को दी गई हो यह तथ्य भी प्रार्थी साक्ष्य से साबित नहीं है। ऐसे में उक्त बिल के मद में आहत को कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

36. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष स्वयं के स्थाई निशक्तता होने के तथ्य बाबत प्रदर्श–67 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है, जो राजकीय चिकित्सालय के तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट है। प्रकरण में चूंकि सम्बद्ध स्थायी निशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श–67 राजकीय अस्पताल के तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तब सम्बद्ध प्रदर्श–67 को जारी करने वाले चिकित्सक को परीक्षित नहीं करवायी जाने का प्रार्थी पक्ष पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने का आधार नहीं है।

37. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाया गया सम्बद्ध स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–67 अखंडनीय रूप से राजकीय चिकित्सालय के तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाना प्रकट है। प्रकरण में प्रार्थी/आहत ने ए.ड. 1 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं के द्वारा लेब कार्य के साथ बच्चों को पढाने का तथ्य प्रकट करते हुए, प्रश्नगत दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके बांये हाथ से कोई काम नहीं होने तथा मुंह से खाना खाने, बोलने में परेशानी होने का तथ्य प्रकट किया है। तब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सम्बद्ध स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–67 के आधार पर 18 प्रतिशत स्थायी अपंगता निर्धारित की जाती है।

38. प्रार्थी की आयु के संबंध में उसकी ओर से याचिका में अपनी आयु 29 वर्ष होना अंकित किया गया है, प्रदर्श–11 व 12 चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट में आहत की आयु 29 वर्ष होना अंकित है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से याचिका के साथ उसका आधार कार्ड पेश किया गया है,

क्रमशः

जिसमें उसकी जन्मतिथि 24.07.1995 अंकित है, जिसके अनुसार गणना करने पर दुर्घटना दिनांक 01.06.2026 को आहत अमन की आयु 29 साल 10 माह होना अभिनिर्धारित किया जाता है, तब 26 से 30 आयु वर्ग के लिए 17 के गुणांक का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है।

39. आय के संबंध में याची की ओर से अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं इस संबंध में स्वयं को ट्यूशन एवं प्राईवेट लेब पर कार्य करना प्रकट करते हुए 40,000/–रू प्रतिमाह आय अर्जित करना उल्लेखित किया है, लेकिन इस तथ्य बाबत् प्रार्थी ए.ड. 1 अमन वर्मा की केवल मौखिक अभिसाक्ष्य है तथा वह उक्त कार्य करके 40000/–रू प्रतिमाह आय अर्जित करता हो, इस तथ्य बाबत् प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिकरण के समक्ष संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तब प्रकरण में आहत की मासिक आय 40,000/–रू होने के तथ्य बाबत् कोई ठोस व सुदृढ़ साक्ष्य नहीं होने से, आहत को एक अकुशल श्रमिक के समान कार्य करने वाला व्यक्ति माना जाना अपेक्षित है। चूंकि दुर्घटना दिनांक 01.06.2025 को एक अकुशल श्रमिक की आय दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार 7410/–रू प्रतिमाह पारिश्रमिक देय था, जिसकी **18** प्रतिशत के आधार पर 1334/–रू प्रतिमाह प्रार्थी को आय की क्षति होने की संभावना मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

40. वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता की आयु 29 वर्ष 10 माह निर्णीत हुई है जिसके अनुसार 1334×12×17 = **2,72,136/–रू** याचिकाकर्ता को आय के नुकसान के मद में विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

41. इसके अतिरिक्त आहत अमन वर्मा को दुर्घटना में आई चोटों के कारण काफी पीडा, कष्ट एवं वेदना का सामना करना पड़ा ऐसे में उसके द्वारा भुगती गई पीडा, कष्ट एवं वेदना के मद में आहत को **25000/–** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

42. इसके अतिरिक्त प्रार्थी अमन की ओर से प्रदर्श–59 मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का बिल प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। उक्त बिल की राशि–18,530/–रू होना स्पष्ट रूप से प्रकट है। परंतु उक्त मोटरसाईकिल आहत अमन की हो, इस संबंध में उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में उसे इस मद में भी कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

43. इस प्रकार याची अमन मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल **39000+78866+9000+2,72,136+25000 = 4,24,002/–रू (अक्षरेः चार लाख चौबीस हजार दो रूपये मात्र)** प्राप्त करने का अधिकारी है।

अनुतोष :–

क्रमशः

44. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अमन दुर्घटना में आई चोटों के प्रतिकर स्वरूप अप्रार्थी बीमा कंपनी से कुल **4,24,002/–रू (अक्षरेः चार लाख चौबीस हजार दो रूपये मात्र)** तथा उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 28.10.2025 से अदायगी होने तक अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि प्राप्त करने की अधिकारी पाया जाता है। अप्रार्थी बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वे उक्त भुगतान की गई राशि को अप्रार्थी संख्या–1 व 2 क्रमशः वाहन चालक व वाहन स्वामी से वसूल कर सकेगी।

पंचाट

45. प्रार्थी अमन के पक्ष में व विपक्षी बीमा कंपनी के विरूद्ध **4,24,002/–रू (अक्षरेः चार लाख चौबीस हजार दो रूपये मात्र)** का पंचाट पारित किया जाता है। चूंकि प्रार्थी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में कोई राशि नहीं दिलाई गई है, अतः प्रार्थी अमन कुल राशि– **4,24,002/–रू (अक्षरेः चार लाख चौबीस हजार दो रूपये मात्र)** उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 28.10.2025 से अदायगी होने तक अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि प्राप्त करने की अधिकारी पाया जाता है। अप्रार्थी बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वे उक्त भुगतान की गई राशि को अप्रार्थी संख्या–1 व 2 क्रमशः वाहन चालक व वाहन स्वामी से वसूल कर सकेगी।

46. क्लेम याचिका में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

47. विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से उपरोक्त अवार्डशुदा राशि अधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा–मानटाउन, सवाईमाधोपुर के खाता संख्या–17272421000086 आई.एफ.एस.सी. कोड–PUNB0172710 में जरिए नेफ्ट जमा करवाया जाकर अंदर 15 दिवस अधिकरण को सूचना प्रेषित करेंगे, साथ ही उक्त सूचना बीमा कंपनी द्वारा प्रार्थी को भी प्रेषित की जावेगी, उपरोक्तानुसार विपक्षीगण द्वारा राशि अधिकरण के खाते में जमा होने पर प्रार्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के मार्फत् निम्न प्रकार भुगतान की जावे।

क्र.सं.	नाम प्रार्थी/प्रार्थीगण	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	अमन वर्मा पुत्र स्व. सीताराम वर्मा, उम्र 29 साल, निवासी–लोदीपुरा, तह. व जिला सवाईमाधोपुर।	3,24,002/–रू व कुल अवार्ड राशि पर देय ब्याज	1,00,000/–	1 साल के लिए

क्रमशः

48. एफ.डी.आर. पर देय त्रैमासिक ब्याज संबंधित प्रार्थी के बचत खाते में देय होगा, प्रार्थी के सावधि खातों पर नोट अंकित किया जावे कि अधिकरण की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का ऋण एवं अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
सवाई माधोपुर।

49. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को विवृत अधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
सवाई माधोपुर।